न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहनलाल यादव, आई.ए.एस.

उनवान

सरकार — अपीलाण्ट

बनाम

रामराज सिंह पुत्र जोरावर सिंह जाति गुर्जर निवासी तिघरिया, थाना बालघाट, तहसील टोड़ाभीम, जिला करौली (राज0) — रेस्पोण्डेण्ट

अपील आर्म्स एक्ट

निर्णय

दिनांक 14.01.2020

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.12.2014 को यह आदेश पारित किया गया है कि पंचायत आम चुनाव 2015 के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये जिले के समस्त अनुज्ञापत्रधारियों को अपने शस्त्र संबंधित थाने में दिनांक 03.01.2015 से पूर्व जमा कराये जाने है किन्तु रेस्पोण्डेण्ट द्वारा समय सीमा में अपना शस्त्र थाने में जमा नहीं कराने पर जिला पुलिस अधीक्षक करौली की रिपोर्ट के आधार पर न्याय अनुभाग के पत्रांक न्याय/15/1657 दिनांक 13.03.2015 से 64 अनुज्ञापत्रधारियों के शस्त्र अनुज्ञापत्रों को आर्म्स एक्ट 1959 का उल्लंघन करने पर निलंबित किया गया था इस निर्णय के खिलाफ रेस्पोण्डेण्ट अपीलीय न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर में अपील दायर की गई जिसमें अपीलीय न्यायालय ने अपीलाण्ट को सुना जाकर अपने निर्णय दिनांक 01.08.2019 को पत्रावली रिमाण्ड कर निर्देशित किया गया है कि अपीलाण्ट को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुये आयुध अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में वर्तमान में कानून एवं शांति व्यवस्था के औचित्य को दृष्टिगत रखते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जावें।

पत्रावली दर्ज पंजिका कर रेस्पोण्डेण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा जिला पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट तलब की गई।

श्री रामराजसिंह ने अपने मौखिक जबाव कथन में निवेदन किया है कि मैं तत्कालीन समय में M/s. Bhumini Security Services Pvt. Ltd. Jaipur कम्पनी के जरिये इण्डियन ओवरसीज बैंक शाखा करौली में सुरक्षाकर्मी के रूप में नौकरी कर रहा था। मैंने तत्कालीन समय में थाना करौली पर इस संबंध मे सूचित कर दिया था परंतु थाना बालघाट पर सूचित नहीं कर पाया जिसके लिए मैं क्षमाप्रार्थी हूं। थाना बालघाट में सूचना नहीं हो पाने की वजह से थानाधिकारी बालघाट द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय करौली को प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर मेरा शस्त्र अनुज्ञापत्र निलंबित कर दिया गया। आदेश दिनांक 29.12.2014 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि आदेश दिनांक 29.12.2014 बैंक में लगे हुए सुरक्षा कर्मियों पर लागू नहीं होगा। अंत में शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल फरमाने का निवेदन किया है।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पैरोकार सरकार का बहस में कथन है कि रेस्पोण्डेण्ट द्वारा समय सीमा पर हथियार थाने में जमा नहीं कराने पर अन्य अनुज्ञापत्रों के साथ इसको भी नियमानुसार निलंबित किया गया है। अंत में शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त फरमाने का निवेदन किया है।

पुलिस अधीक्षक करौली ने रिपोर्ट क्रमांक–ल–1( )श.अ. बहाली/डीएसबी/2019/12487 दिनांक 14.11.2019 द्वारा अवगत कराया है कि श्री रामराजसिंह के विरुद्ध

न तो कोई अभियोग पंजीबद्ध है और न ही विचाराधीन है। अंत में शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल किये जाने के संबंध में अपनी अनापत्ति प्रेषित की है।

हमनें उभयपक्ष की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया। आदेश दिनांक 29.12.2014 द्वारा पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों को दिनांक 03.01.2015 से पूर्व संबंधित थाने में शस्त्र जमा करवाने हेतु निर्देशित किया गया था। उसी आदेश में यह स्पष्ट रूप से अंकित था कि यह आदेश बैंक सुरक्षाकर्मियों पर लागू नहीं होगा। श्री रामराजसिंह द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार वे तत्कालीन समय में M/s. Bhumini Security Services Pvt. Ltd. Jaipur कम्पनी के जरिये इण्डियन ओवरसीज बैंक शाखा करौली में सुरक्षाकर्मी के रूप में नौकरी कर रहे थे। पुलिस अधीक्षक करौली ने भी अपनी अनापत्ति रिपोर्ट प्रेषित की है। अतः हम श्री रामराजसिंह का शस्त्र अनुज्ञापत्र बहाल किया जाना उचित समझते हैं।

अतः इस कार्यालय का आलोच्य आदेश दिनांक 13.03.2015 श्री रामराजसिंह पुत्र श्री जोरावर सिंह जाति गुर्जर निवासी तिघरिया थाना बालघाट के नाम की हद तक निरस्त किया जाता है एवं श्री गुर्जर को जारी शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 56/98 को बहाल किया जाता है। प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग उक्त अनुज्ञापत्र को नियमानुसार नवीनीकरण की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.01.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2020.02.14 13:36:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: